



**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1493/Type Approval No.: 1493

नवीकरण सं.:/Renewal No.: 02 /संशोधन सं.:/Amendment No.: 01

विषय/Sub: जीओएसटी 2112-79 (ग्रेड एमएम) के अनुसार कॉपर लॉकिंग वायर्स और व्यास 0.30मिमी से 5.00 मिमी के आईएस:4412-1982 (ग्रेड2),

Copper Locking Wires as per GOST 2112-79 (Grade MM) and IS:4412-1982 (Grade 2) of Dia 0.30 to 5.00 mm

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स भारत वायर रोप्स लिमिटेड, 524/525, द कॉर्पोरेट सेंटर, निर्मल लाइफस्टाइल, एलबीएस मार्ग, मुलुंड (वेस्ट), मुंबई 400 080, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " जीओएसटी 2112-79 (ग्रेड एमएम) के अनुसार कॉपर लॉकिंग वायर्स और व्यास 0.30मिमी से 5.00 मिमी के आईएस:4412-1982 (ग्रेड2), " को निर्धारित अप्रूव्ड कम्पोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (ए सी बी एस) दस्तावेज़ संदर्भ सं. एचएएल-एनके/एयूआरडीसी/डीआई/4501/56, दिनांक: 26 मई 2020 के अनुसार और आरसीएमए (नासिक) द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देश और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित/नवीकृत किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उडनयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट-ए/प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन दस्तावेज़ में विवरित किया गया है।

This is to state that "Copper Locking Wire as per GOST 2112-79 (Grade MM) and IS:4412-1982 (Grade 2) of Dia 0.30 mm to 5.00 mm" designed, developed and manufactured by M/s. Bharath Wire Ropes Ltd., 524/525, The Corporate Centre, Nirmal Lifestyle, LBS Marg, Mulund (West), Mumbai- 400080 is hereby Type Approved/ Renewed as per the Approved Component Build Standard (ACBS) defined vide document Ref. No.: HAL-NK/AURDC/DI/4501/56, dated: 26 May 2020 and conforms to Technical Specification and Qualification Test Requirements approved by RCMA (Nasik). The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A / Initial TA documents.

यह अनुमोदन नियमों और शर्तों के अधीन तथा पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01-07-2020 से 30-06-2025तक) पाँच(05) वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five (05) years from the date of issue/ renewal (from 01-07-2020 to 30-06-2025) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/5070/ए.टी/TA-1493

दिनांक / Date : 29th July 2020

फैक्ससं. / Fax No.: 080-2523 0856

Format as per: CEMILAC/TCS/5070. dated: 22nd March 2019


ए. पी. वी. एस. प्रसाद /A.P.V.S. Prasad
उत्कृष्ट वैज्ञानिक/Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

वर्ग अनुमोदन के निबंधन और शर्तें / Terms and Conditions of Type Approval

1. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी उपयुक्त दस्तावेज में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all applicable documents.

2. यह वर्ग अनुमोदन जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से पाँच (05) वर्ष तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ सेमिलैक को सूचित करते हुए संबंधित आर सी एम ए से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid for five (05) years from the date of issue/ renewal, unless otherwise cancelled or suspended or revoked. The vendor shall request the respective RCMA under intimation to CEMILAC, for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

3. अगर इस वर्ग अनुमोदित उत्पाद में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन सेमिलैक की पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Any changes to the type approved product shall be effected only with prior concurrence of CEMILAC, Bengaluru – 560 037. The Type Approval is not transferable to any other agency without prior approval from CEMILAC.

4. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the quality control aspects of bulk production as stipulated by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

5. यह वर्ग अनुमोदन किसी भी प्लैटफॉर्म पर फिटमेंट और एकीकरण के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक प्लैटफॉर्म के ई एस ओपी में उल्लेखित नहीं हो या उद्देश्य के लिए विशेष सेवा मंजूरी नहीं दी गई हो।

Type Approval shall not constitute authority for fitment and integration on any platform unless called in the ESOP of the platform or specific service clearance to that effect.

Table-1

Record of Provisional Clearances issued by RCMA		
Sl. No.	Reference of Provisional Clearance issued/ renewed with date	Validity
1	RCMA (N)/1602/L-107 dt. 11May 2000	Two Years

Table-2

Record of Amendments Approved by CEMILAC		
SL. No.	Amendment Details	Basis and References
1	ACBS:HAL-NK/AURDC/DI/4501/56, dated: 26 May 2020	RCMA (N)/1669/1, dt. 11 th June 2020

Table-3

Record of Type Approval issue and Renewals			
SL. No.	Date of Issue/ Renewal	SL. No.	Date of Issue/ Renewal
1	19 May 2010	2	16 Jun 2015

सेवा में/Copy To:

क्र. सं.	फर्म का पता		SL. No.	Firm Address	
1.	महा प्रबंधक मेसर्स भारत वायर रोप्स लिमिटेड, 524/525, द कार्पोरेट सेंटर, निर्मल लाइफस्टाइल, एलबीएस मार्ग, मुलुंड (वेस्ट), मुंबई 400 080		1.	The General Manager M/s. Bharath Wire Ropes Ltd., 524/525, The Corporate Centre, Nirmal Lifestyle, LBS Marg, Mulund (West), Mumbai- 400 080	
2.	महा प्रबंधक मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओझर टाउनशिप (पी.ओ), नासिक - 422 207		2.	The General Manager M/s Hindustan Aeronautics Ltd, Ojhar Township (PO), Nasik - 422 207	
3.	क्षेत्रीय निदेशक वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन का कार्यालय (एक्यूए), (नासिक), डी जी ए क्यू ए, रक्षा मंत्रालय, द्वारा मेसर्स एच ए एल (नासिक प्रभाग), ओझर टाउनशिप (पी.ओ) नासिक - 422 207		3.	The Regional Director O/o Aeronautical Quality Assurance (AQA) (Nasik), DGAQA, Ministry of Defence C/o M/s HAL (Nasik Division), Ojhar Township (PO), Nasik - 422 207	
4.	क्षेत्रीय निदेशक आर सी एम ए (नासिक), सेमिलैक, डी आर डी ओ, द्वारा मेसर्स एच ए एल (नासिक प्रभाग), ओझर टाउनशिप (पी.ओ) नासिक - 422 207		4.	The Regional Director RCMA (Nasik) CEMILAC, DRDO C/o M/s HAL (Nasik Division), Ojhar Township (PO), Nasik - 422 207	
5.	महा प्रबंधक मेसर्स एचएएल इंडिजनाइजेशन कक्ष कार्पोरेट कार्यालय, 15/1, कब्बन रोड बेंगलूरु- 560 001		5.	The General Manager M/s HAL Indigenization Cell Corporate Office 15 / 1, Cubbon Road Bengaluru - 560 001	
6.	महा निदेशक डीजीएक्यूए, रक्षा मंत्रालय एचब्लॉक, नई दिल्ली- 110 011		6.	The Director General DGAQA, Ministry of Defence 'H' Block, New Delhi - 110 011	
7.	समूह निदेशक (वायुयान) सेमिलैक बेंगलूरु- 560 037	सूचनार्थ	7.	The Group Director (Aircraft) CEMILAC Bengaluru - 560 037	for information please

→ For any clarifications, please contact CEMILAC at the following contacts:-

1- 1st level of contact: Thippeswamy. H, Technical Officer-B, TC&S Group
Ph.: 080-25121011 / 9611348424, Email: h.thippeswamy@cemilac.drdo.in

2- Next level of contact: A.R. Raghunath Sc 'G', GD (TC&S)
Ph.: 080-25121401 / 9449049457, Email: gd.tcs@cemilac.drdo.in

Note: In case, If the clarifications are not resolved at the above levels; you may escalate the issue to CE(A), CEMILAC at the following:-

Ph: 080-25121001, Email: chief@cemilac.drdo.in